§ भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड §ii§ में प्रकाशनार्थ §

01.2.11.85

भारत सरकार
ऊर्जा मंत्रालय
कोयला विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 25-10-85

अधिसूचना

का.आ. 5162 केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय §कोयला विभाग§ की अधिसूचना सं. 816 तारीख 2 मार्च, 1984 द्वारा जो भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3 उपखंड §ii§ तारीख 17 मार्च, 1984 में प्रकाशित की गई थी, उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में माप में 349.00 एकड़ §लगभग§ या 141.23 हैक्टर §लगभग§ भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना कोयला धारक क्षेत्र §अर्जन और विकास§ अधिनियम, 1957 §1957 का 20§ की धारा 7 की उपधारा §1§ के अधीन दी थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार का पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् तथा बिहार सरकार से परामर्श करने के पश्चात्, यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित माप में 349.00 एकड़ §लगभग§ या 141.23 हैक्टर §लगभग§ भूमि का अर्जन कर लिया जाना चाहिए ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा §1§ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में वर्णित, माप में 349.00 एकड़ §लगभग§ या 141.23 हैक्टर §लगभग§, भूमि का अर्जन किया जाना है ।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांकित की निरीक्षण उपायुक्त निरिडीह §बिहार§ के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में या सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि0§राजस्व अनुभाग§, दरभंगा हाउस, रांची §बिहार§ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

अनुसूची

गुंजरडीह ब्लाक विस्तार
(पूर्वी बोकारो कोयला क्षेत्र)
बिहार
रेखाचित्र सं• राजस्व/105/84
तारीख 11•7•1985
(जिसमें अर्जित भूमि दिखाई गई है)

सभी अधिकार

क्र• सं•	थाना	थाना सं•	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1•	माकोली नवाडीह (बेरमो)	69	गिरिडीह	52•25	भाग
2•	गुंजरडीह नवाडीह (बेरमो)	72	गिरिडीह	230•25	भाग
3•	चपरी नवाडीह (बेरमो)	73	गिरिडीह	66•50	भाग
कुल क्षेत्र			349•00 एकड़ (लगभग)		
या			141•23 हैक्टर (लगभग)		

ग्राम माकोली में अर्जित प्लाट संख्यांक 1 (भाग) ग्राम गुंजरडीह में अर्जि प्लाट संख्यांक 212 (भाग) ग्राम चपरी में अर्जित प्लाट संख्यांक 1440 (

सीमा वर्णन

क-ख रेखा ग्राम चपरी में प्लाट सं• 763, 764, 767 और 766 से होकर र है और बिन्दु "ख" पर मिलती है ।

ख-ग- रेखाएं ग्राम चपरी में प्लाट सं• 1440 में से माकोली ग्राम प्लाट सं•
घ-ङ- और गुंजरडीह ग्राम में प्लाट सं• 212 से होकर जाती है (जो उक्त
च अधिनियम की धारा 9 (1) के अधीन अर्जित गुंजरडीह ब्लाक की सी
सीमा है) और बिन्दु "च" पर मिलती है ।

....

च-छ-ज	रेखाएं ग्राम गुंजरडीह में प्लाट सं॰ 212 से होकर जाती है और बिन्दु "ज" पर मिलती है ।
ज-झ	रेखा ग्राम गुंजरडीह के प्लाट सं॰ 160, 155 की पूर्वी सीमा, प्लाट सं॰ 158 की पूर्वी और दक्षिणी सीमा प्लाट सं॰ 157 की दक्षिणी सीमा, प्लाट सं॰ 155 की पूर्वी सीमा प्लाट सं॰ 154 की पूर्वी और दक्षिणी सीमा, प्लाट सं॰ 153 और 152 की दक्षिणी प्लाट सं॰ 155 की दक्षिणी सीमा प्लाट सं॰ 91, 78 की पूर्वी सीमा प्लाट सं॰ 77 की पूर्वी और दक्षिणी सीमा प्लाट सं॰ 76 की उत्तरी सीमा पूर्वी और दक्षिणी सीमा प्लाट सं॰ 80 की भागत: पूर्वी और दक्षिणी सीमा, प्लाट सं॰ 71, 72, 73 की पूर्वी सीमा, प्लाट सं॰ 74 की पूर्वी सीमा और भागत: दक्षिणी सीमा प्लाट सं॰ 212 में से और प्लाट सं॰ 75 की भागत: पूर्वी सीमा से होकर जाती है और बिन्दु "झ" पर मिलती है ।
झ-ञ-ट-ठ-ड	रेखाएं ग्राम गुंजरडीह और माकोली, चपरी और माकोली की भागत: सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ड" पर मिलती है ।
ड-ढ	रेखा तिलरी नदी के भागत: दायें किनारे के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ढ" पर मिलती है ।
ढ-क	रेखा ग्राम चपरी के प्लाट सं॰ 1440 से होकर जाती है और प्रारंभिक बिन्दु "क" पर मिलती है ।

(समय सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
सं॰ 43019/19/84- जी॰ए॰

सेवा में

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, रिंग रोड,
नई दिल्ली.